न्यायालय ... अधिकारी
... हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
... (पीठासीन)

402/17
वाद

हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/3/18 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। ~~अवकाश पर है / पदरिक्त है~~ अतः पत्रावली दिनांक 9/4/18 को पेश हो। हस्ताक्षर उपखण्ड अधिकारी,करेड़ा	ता० 12/3/18
9/4/18 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। ~~अवकाश पर है / पदरिक्त है~~ अतः पत्रावली दिनांक 30/4/18 को पेश हो। हस्ताक्षर उपखण्ड अधिकारी,करेड़ा	
30/4/18 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी ~~राजकीय~~ कानून व्यवस्था में व्यस्त है ... अतः पत्रावली दिनांक 9/7/18 को पेश हो। हस्ताक्षर उपखण्ड अधिकारी,करेड़ा	
22.5.18 पत्रावली मुकाम से हनुन्या पर राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मुताबिक ग्राम कलिंजरा खेड़ा पटवार हल्का से हनुन्या तह० करेड़ा स्थित आराजी नं. 56/1, 57, 58/1 किता 3 रकबा 2.00 बीघा एवं चाह नं. 65 रकबा 0.02 बीघा भूमि वादी द्वारा के हिस्सा निहित था जिसे वादी द्वारा पोखर पुत्र कानाराम रेबारी नि० कलिंजरा खेड़ा प्रार्थी के उसके भाई भूला द्वारा 1996 में क्रय रजिस्ट्री क्रय की गई। वादीगण भाई उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज होकर इसका उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर (भीलवाड़ा) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 402/17 वाद
	के पिता व विपक्षी संख्या 05 के पति का नाम धन्ना पुत्र नारायण रेबारी जो इसी ग्राम के निवासी है का उपरोक्त वादग्रस्त भूमि से दूर-दूर तक कोई किसी भी प्रकार का कोई वास्ता नहीं था। परन्तु वादी के पिता नारायण तथा प्रतिवादियों के पिता/पति धन्ना का नाम भी नारायण होने से व धन्ना वादी का नाम धन्ना, पिता नारायण मिलता जुलता होने से प्रतिवादियो के पिता/पति की मृत्यु के पश्चात वादी की वादग्रस्त भूमि है उसका इन्तकाल प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त गलती मिलता जुलता नाम होने के कारण ही हुई है। स्वयं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 द्वारा दिनांक 08.12.16 को इकबालिया जवाबदावा जो राजीनामा रूप में प्रस्तुत होकर रेकार्ड पर है तथा इस इकबालिया जवाबदावे में सशपथ प्रतिवादीगण समस्त द्वारा अभिव्यक्ति/सहमति/राजीनामा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि वस्तुतः प्रतिवादीगणों के पिता/पति धन्ना पिता नारायण रेबारी की मृत्यु हुई थी एवं मिलता जुलता नाम होने के कारण वादी धन्ना पिता नारायण को मृतक माना जाकर

न्यायालय उपखंड अधिकारी करेड़ा (भीलवाड़ा) 502/17 912 पर्चे सरहुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.	

तत्कालीन हलका पटवारी द्वारा वादी की उपरोक्त वादग्रस्त 2.00 बीघा भूमि तथा आ॰ नं॰ में ½ हिस्सा वादी को मृत मानने से प्रतिवादियों के पक्ष में नामान्तकरण भूलवश स्वीकृत किया गया।

मजमे आम चौपाल में ग्राम पंचायत द्वारा भी इसबाबत पत्र की ताईद की जाकर पुष्टि की गई है। वादी मृतक नहीं होकर विवेचित दिनांक को जीवित है जिसका प्रमाण पंचायत द्वारा पूर्व में ही प्रस्तुत हो रखा है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त 2.00 बीघा तथा कुँए का ½ भाग वादी भाना पिता नारायण रेबारी नि॰ कलियास करेड़ा के स्वामित्व एवं स्वत्व युक्त है जिसे वादी द्वारा वर्ष 1996 में पोकर रेबारी से क्रय किया गया है। प्रतिवादी पूर्णतया सहमत होने से तथा मजमे आम चौपाल में वादपत्र की पुष्टि होने से लोक अदालत की भावना से प्रकरण निस्तारित किये जाने का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण होने से वादी का वाद पत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार बिलागत

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज करेड़ा (भीलवाड़ा) 402/17 वाद
	05 राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु वाद पत्र स्वीकार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। : आदेश : वादी का वाद पत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी रोड़ा 01 लगायत 05 स्वीकार किए जाने से वादी खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के कारण मौजा ... स्थित आ.नं. 56/1, 57, 58/1 कुल किता 3 रकबा 2.00 बीघा वादी ... आ.नं. 65 रकबा 0.02 बीघा का ... वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी रोड़ा 01 लगायत 05 के नाम दर्ज रेकार्ड है के बजाय वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में अभिलेखित किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार करेड़ा को लिखा जावे पत्रावली ... बाद तकमील ... दाखिल ... हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखंड अधिकारी पदेन

प्रपत्र-5

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ....करेड़ा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- ....

धाना पुत्र नारायण रेबारी नि. बालियास (करेड़ा) ....उनवान बनाम (1) शंकर पुत्र धाना रेबारी नि. बालियास (करेड़ा) वगैरह

दावा बाबत् अंतर्गत 88, 89, 188 R.T. Act

मुकदमा नम्बर :- 402/17 (284/16) रा.वाद

निर्णय दिनांक :- 24/5/18

वादी की ओर से श्री [illegible] की व प्रतिवादी की ओर से [illegible] जैन AOP की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24/5/18 को [illegible] (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी करेड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वादी का वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी सं. 01 लगायत 05 राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं कि मौजा बालियास ग्रा.प. हुरड़ा तहसील करेड़ा स्थित आ.नं. 58/1, 57, 58/1 कुल किता - 3 रकबा 2.00 बीघा तथा चाह आ.नं. 65 रकबा 0.02 बीघा का 1/4 जो वर्तमान जमाबंदी

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख .... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(*) शेष पुस्त पर अंकित है

(हस्ताक्षर)

उपखंड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
पदेन सहायक कलक्टर ....

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के निर्वाह व्यय	
5. सक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

अन्वान

धन्ना 90 नारायण रेबारी निवासी कलियास

बनाम

1. शंकर S/o धन्ना रेबारी नि० कलियास
2. तारापुरी D/o धन्ना रेबारी
3. हनुमान D/o धन्ना रेबारी
4. फूला D/o धन्ना रेबारी
5. श्रीमति मादू W/o धन्ना रेबारी
6. राज० राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा — प्रतिवादी

आदेश

प्रतिवादी सं० 1 लगायत 05 के नाम दर्ज रेकार्ड है के बजाय वादी के नाम राज रेकार्ड में अभिलिखित किया जावे।

उपखंड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा